आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 34/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेन्स कम्पनी लि॰ कार्पोरेट कार्यालय 6, मंजिल, सुप्रीम बिजिनेस पार्क, सुप्रीम सिटी,पोवई मुम्बई । रजिस्टर्ड आफिस मेघा टॉवर तीसरी मंजिल, पुराना नं॰ 307 नया नं॰ 165, पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई, ब्रान्च आफिस पहली एवं दूसरी मंजिल केसर मॉल, 155 ए, टौंक रोड, बापूनगर, ऐपेक्स माल के सामने, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण सैन पुत्र श्री मथुरालाल सैन
2. मधु सैन पत्नी श्री सत्यनारायण सैन
   निवासी 201, सैक्टर–11, मालवीय नगर, वार्ड नं॰ 25, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1.श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

2.श्री धर्मपाल सिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश दिनांक 18.02.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.10.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सत्यनारायण सैन के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं॰ 11/201, (एफ.एफ.) ई डब्लू एस हाउसिंग बोर्ड मालवीय नगर, हाउसिंग बोर्ड मालवीय नगर जयपुर क्षेत्रफल 8.860 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल 11,38,998/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.02.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मपाल सिंह ने वकालतनामा ,पेश कर जवाब व दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 22 जनवारी 2018 से कम संख्या 1 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. अप्रार्थी ने जबाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में समय दिया जा चुका है। इसलिए अधिक समय नही दिया जा सकता है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 11,38,998/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 12,31,430.87/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.02.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सत्यनारायण सैन के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं॰ 11/201, (एफ.एफ.) ई डब्लू एस हाउसिंग बोर्ड मालवीय नगर, हाउसिंग बोर्ड मालवीय नगर जयपुर क्षेत्रफल 8.860 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

10. आदेश आज दिनांक **18.02.2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

18/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर